न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/38/2019

1– अजय सिंह पुत्र रेवती
2– वीरी सिंह पुत्र कल्ला
3– महीपाल पुत्र नन्द किशोर
4– भंवर सिह
5– गोरधन
6– राजाराम पुत्र सुखराम

पुत्रान पांची

जाति जाट निवासी ग्राम परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्राथीगण

बनाम

1– गुलबो बेबा अतर सिंह
2– रामदेई बेवा भीमसिंह
3– ओमप्रकाश
4– महेन्द्र सिंह

पुत्रान अतरसिंह

जाति जाट निवासी ग्राम परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना।

निर्णय **दिनांक 15.01.2020**

प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 इस आशय का पेश किया है कि एक राजस्व वाद सं0 64/2018 उनवानी अजयसिंह बनाम गुलवो सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है उक्त वाद साथ विचारणीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26.04.2019 को पीठासीन अधिकारी श्री विनोदकुमार मीना द्वारा बहस सुनी गई है । प्रकरण में बहस सुने 15 दिन की अवधि से अधिक हो गए हैं किन्तु निर्णय आरक्षित किया हुआ है । प्रार्थीगण की जानकारी में आया है कि उक्त प्रकरण में निर्णय अपने हक में कराने हेतु अनावेदक ने पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना से मिल गया है और उनसे साज करली है । अनावेदक को आवेदक ने न्यायालय में कई बार पीठासीन अधिकारी के कक्ष में आते जाते व उनसे बात करते देखा है । इसके अलावा आवेदक ने गांव परसवारा में ऐलानियां धमकी देते हुए कहा है कि हम प्रकरण में अवश्य जीतेंगे क्योंकि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है । इस कारण पीठासीन

अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है । प्रकरण में वे निश्चित ही आवेदकगण के विरूद्ध निर्णय पारित करेंगे । अतः सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण अजयसिंह वगै0 बनाम गुलबो वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा अजयसिंह बनाम गुलबो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 2012 आर0टी0ए0 के प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.2019 को बहस सुनने के बाद निर्णय रिजर्व रखा हुआ है । अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से साज करली है । अप्रार्थीगण ने खुलेआम कहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है और वे अप्रार्थीगण के हक में ही निर्णय पारित करेंगे । इस बात का प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा है । इस कारण प्रार्थीगण को पीठासी अधिकारी श्री विनोदकुमार मीना से न्याय मिलने की कोई उम्मेद नहीं है । अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कतई स्वीकार नहीं हैं । अप्रार्थीगण कभी भी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गए और न उनसे कभी प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत हुई है । प्रार्थीगण द्वारा लगाये गए आरोप बेबुनियाद व मनगढंत हैं। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर न्याययालय से एकपक्षीय स्थगन आदेश ले रखा है जिसे वे अनावश्यक तरीके से लम्बित करना चाहते हैं । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया गया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थीगण की मंशा प्रकरण में जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को अनावश्यक रूप से लम्बित करने की है । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के

समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगणका मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर नदबई को प्रषित की जावे

निर्णय आज दिनांक 15–01–2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:15:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: